न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 01/2023

बउनवान

हीरालाल पुत्र किशनलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम ढोलम थाना छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला मजिस्ट्रेट, बारां (रेस्पोंडेंट्)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 आयुध अधिनियम, 1959

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेंट)

निर्णय दिनांक– 03.01.2023

1– प्रकरण प्रार्थी द्वारा न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां में शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट थानाधिकारी छीपाबड़ौद अनुसार अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण संख्या 83/91 अन्तर्गत धारा 452,147,148,149, 342,392 आईपीसी दर्ज होना पाये जाने तथा जैरकार प्रकरण में अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 147,323,149 आईपीसी में दोषी माना जाकर दण्ड दिया जाने से अनुज्ञापत्र आदेश क्रमांक/एफ–7/न्याय/2011/1340 दिनांक 19.03.2012 से निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध अनुज्ञापत्रधारी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग कोटा में अपील प्रकरण संख्या 46/2012 पेश की जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.01.2013 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा पारित आदेश क्रमांक/एफ–7/न्याय/2011/1340 दिनांक 19.03.2012 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय में उल्लेखित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये। इस पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी ने जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 83/91 धारा 147,148,149,342,392 आईपीसी में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश छबड़ा द्वारा दिनांक [illegible]97 को पारित निर्णय की प्रति संलग्न प्रस्तुत कर अपीलांट को मात्र जुर्माना राशि से दण्डित किया जाना तथा सजा से दण्डित नहीं किया जाना अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा आज तक भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.24 11:03:35 IST
Reason: SelfAttested

धारी शुदा लाईसेन्स पर दर्ज शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया है तथा वर्ष 1991 के बाद प्रार्थी के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी का लाईसेन्स बहाल फरमावें।

उक्त आशय का जवाब प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी तथा पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण संख्या 83/91 धारा 452,147,148,149,342,392 आईपीसी में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, छबड़ा द्वारा दिनांक 30.08.1997 को निर्णय पारित कर अप्रार्थी को मात्र जुर्माना राशि से दण्डित किया गया है तथा सजा से दण्डित नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल करने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण प्रकरण संख्या 83/91 धारा 452,147,148,149,342,392 आईपीसी में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.08.1997 से अप्रार्थी को जुर्माने से सजायाब किया गया है। अतः अप्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल नहीं किया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में या अन्य किसी प्रकार से शस्त्र अनुज्ञापत्र की आवश्यकता का कोई ठोस आधार नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट, बारां

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.24 11:03:35 IST
Reason: SelfAttested